



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 665 -काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2021-7(9)-काविनी एवं वे0प्र0/14 दिनांक 23 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञाप

याचिका सं0-2386/एस0एस0/1994-विद्युत परिषद आशुलेखक संघ बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, स्पेशल अपील (डी) सं0-180/2015 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, के सन्दर्भ में कारपोरेशन द्वारा निवेशित (सी0एम0ए0) सं0-9410/2018 एवं सं0-9411/2018 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 12.09.2019 को पारित किये गये निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

The review application has pressed a reference of the office memorandum dated 03.11.2008. Therein a reference of the earlier circulars, set aside by this Court, has been given. We find that by virtue of the office memorandum dated 03.11.2008, the anomaly in the pay-scale has been taken away and accordingly prayer made by the counsel appearing for the Uttar Pradesh Power Corporation Limited to clarify the judgment is worth acceptance and accordingly this review application is accepted to clarify that while the office memorandums dated 02.03.1988, 04.07.1988 and 01.11.1993 have been struck down, it will not affect the subsequent office memorandum dated 03.11.2008 rather it will operate and consequential benefit would be given to the petitioners for which necessary order for notional fixation has already been issued and accordingly it would be given effect.

The order in the present review application would operate only on the employees involved in the litigation and not for others.

2. आशुलिपिकों (वादीगणों) के सन्दर्भ में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-266-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2018-7(9)-काविनी एवं वे0प्र0/14 दिनांक 07.03.2018 द्वारा आदेश निर्गत हैं कि आशुलेखक संवर्ग के देयों के सम्बन्ध में कार्यवाही वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के विरुद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होगी।

3. मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.09.2019 के समादर में आदेशित किया जाता है कि आशुलिपिकों के सन्दर्भ में निर्गत कारपोरेशन के पूर्व आदेश सं0 क्रमशः 311-पी/राविप-30-4पी-1986 दिनांक 02.03.1988, सं0 1031-पी/राविप-30-4पी-1986 दिनांक 04.07.1988 तथा सं0-2187-काविनी/राविप-29/93-4पी/86 दिनांक 01.11.1993 के निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप भी कार्यालय ज्ञाप सं0-1178-काविनी एवं वे0प्र0-29/08/पाकालि-4(31)पी/86(टी0सी0) दिनांक 03.11.2008 द्वारा निर्गत किये गये आदेश यथावत प्रभावी माने जायेंगे एवं तदनुसार ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-तृतीय, जो वाद सं0-2386/एस0एस0/1994-विद्युत परिषद आशुलेखक संघ बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में वादी थे, को उनकी नियुक्ति की तिथि से वेतनमान रू0 1350-2160 को प्रकल्पित वेतनमान मानते हुए प्रकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार उपरोक्त आदेशित कार्यवाही केवल प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित वादीगणों के सन्दर्भ में ही की जायेगी तथा अन्य किसी कार्मिक हेतु लागू नहीं होगा।

5. कार्यालय ज्ञाप सं0-1178-काविनी एवं वे.प्र.-29/08/पाकालि-4(31)पी/86(टीसी) दिनांक 03.11.2008 की अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

उपरोक्तानुसार (सी0एम0ए0) सं0-9410/2018 एवं सं0-9411/2018 में दिनांक 12.09.2019 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित किये गये निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या : 665-(I) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः.....2)

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन(मु०), लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
16. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन - लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न 167(18)वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।




(राकेश भट्ट)

उप सचिव (का०वि०नी०)

-2-